



8-3-22

प्रवाची पेसट्री अपीलाट ने Ad उप
नहीं। अपीलाट ने Ad को रुक-रुक
पार-2 अपाजे खगाई गई लेकिन
ने बाविर नहीं हुआ। अतः ऐसी स्थिति
में अपील अपीलाट अद्वय हाजरी अद्वय
पक्षा में खारिज को जाती है। अद्वय
को प्रति अद्वय न्यायालय को भेजा जावे।
प्रवाची निर्णय दक्षिण कर, नम्बर से कासी
आकर पाठ तकसीय कारिबल दफतर हो। अद्वय
सूच्य न्यायालय में सुनाया गया।

GPB 66-6-2012-2,00,000 F.

अतिरिक्त जिला कलक्टर। नम्बर
श्रीगंगानगर